

**फर्द अहकाम**  
**कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द**

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- बस स्टेण्ड, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

-प्रार्थी / सिक्क्योर कैडिटर

**बनाम**

1. मैसर्स श्रीनाथ द्वारकेश ट्रेडर्स (प्रो. श्रीमती किरण कंवर पत्नी श्री हेमचन्द्र सिंह गोरवा) 77-78, श्रीजी कॉलानी, गांव- उपली ओडन, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द(राज.) (ऋणी)
2. श्री पीयूष कुमार ध्रुव पिता श्री प्रवीन चंद्र, निवासी- 53, श्रीधर सरीता बिल्डींग नं- 2, देवीदास लेन, सेंट लॉरेंस के सामने, पश्चिम मंडापेश्वर, मुम्बई। (जमानती)  
(अप्रार्थीगण)

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 03/2020

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
दिनांक 03.02.2020	<p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- बस स्टेण्ड, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द ने दिनांक: 09.01.2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया है जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>भारतीय स्टेट बैंक शाखा-बस स्टेण्ड, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द द्वारा अप्रार्थीगण को रु 20,00,000/- रुपये की वित्तीय सुविधा दिनांक 27.10.2015 को प्रदान की गई थी तथा उक्त वित्तीय सुविधा प्रदान करते समय उक्त सम्पत्ति के स्वामी श्री हेमन्द्र सिंह पिता स्व. श्री डुंगर सिंह गोरवा एवं श्रीमती किरण कंवर पत्नी श्री हेमन्द्र सिंह गोरवा के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति प्लॉट नं- 77,78 जिसका क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट है जो कि एन एच.-8 के पास, गांव- उपली ओडन, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द में स्थित सम्पत्ति को मोरगेज किया गया। बैंक को मोरगेज रखी सम्पत्ति से संबंधित समस्त असल दस्तावेज हमारे बैंक को सुपुर्द कर दिये। अप्रार्थीगण ने ऋण लेने के पश्चात नियमानुसार ऋण राशि का भुगतान नहीं किया। जिस कारण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अप्रार्थीगण का खाता संख्या 35309150210 को दिनांक 27.09.2018 को एनपीए घोषित कर दिया गया।</p> <p>बैंक द्वारा नियमानुसार दिनांक 19.06.2019 को सिक्क्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस भेजा गया व अप्रार्थीगण से खाता संख्या 35309150210 में बकाया राशि रु 20,78,335 (रुपये अक्षरे बिस लाख अठहत्तर हजार तीन सौ पैंतीस) दिनांक 19.06.2019 तक व इसके पश्चात से भुगतान की दिनांक तक नियमानुसार लागू ब्याज दर से राशि की मांग की गई।</p>	



M

उक्त ऋणी को एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 19.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्त के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता है विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 19.06.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत कर उसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- बस स्टेण्ड, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार विपक्षी ऋणी श्री हेमन्द्र सिंह पिता स्व. श्री डुंगर सिंह गोरवा एवं श्रीमती किरण कंवर पत्नी श्री हेमन्द्र सिंह गोरवा के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति प्लॉट नं- 77,78 जिसका क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट है जो कि एन एच.-8 के पास, गांव- उपली ओडन, नाथद्वारा, जिला राजसमंद में स्थित निजी भूमि है, के पडौस :- उत्तर - सडक, दक्षिण - प्लाट नं. 76, पूर्व - सडक, पश्चिम- प्लाट नं. 76।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- बस स्टेण्ड, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- बस स्टेण्ड, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।



M  
(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
जिला मजिस्ट्रेट  
राजसमन्द